फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

जगदीश वगैरा बनाम वीरमाराम

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 217 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.07.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि मौजा गोदारो की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा नम्बर 845 रकबा 30.07 बीघा में आई हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि को विप्रार्थी हस्तक्षेप, बाधा व दखलअन्दाजी करने व भूमि का बैचान करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 28.08.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा गोदारो की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा नम्बर 845 रकबा 30.07 बीघा भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी, बाधा कारित नहीं करें तथा भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, आदि नहीं करें तथा उक्त आराजी के मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 21.08.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21.08.17	प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होना तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली फाइनल दिनांक 12/12/17 को पेश हो। तब तक स्थगन [illegible] पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:59:13 IST
Reason: SelfAttested

12/12/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील किया तामील जवाब। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 22/01/18 को पेश हो। sd

9.6.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई, वादी के प्रा. पत्र में अधि. श्री खेतराम ने Not Press किया है।
प्रा. पत्र Not Press में निरस्त कर स्थगन समाप्त किया जाता है। प्रा. पत्र को पत्रावली शामिल मुताबिक हो कर ~~नम्बर से~~ कम हो।

[signature]
9.6.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Not press
[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:59:13 IST
Reason: SelfAttested